"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 फरवरी 2017— माघ 26, शक 1938

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-04/आठ-परि./2017. — छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 18 में, उप-नियम (1) में, शब्द "परिवहन आयुक्त" के स्थान पर, शब्द "अतिरिक्त परिवहन आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. F 5-04/VIII/Trans./2017.— In exercise of the powers conferred by Section 24 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, makes the following futher amendment in the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Niyam, 1991, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In rule 18, in sub-rule (1), for the words "Transport Commissioner" the words "Additional Transport Commissioner" shall be Substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.